न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 158 / 2008 दायर दिनांक 11 / 09 / 2008

1. कायमसिंह पुत्र मंगेजसिंह
2. मोहन कंवर पत्नी मंगेजसिंह
3. इन्द्रसिंह पुत्र प्रभुदान सिंह
4. कपिन्द्र सिंह पुत्र बजरंग सिंह
5. कृष्णा कंवर पत्नी बजरंग सिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरजनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

——— वादीगण

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र हनुमानसिंह
2. कमलकंवर पत्नी हुनुमानसिंह
3. सुरज कंवर पत्नी जगदीश सिंह
4. अन्तर कंवर पुत्री जगदीश सिंह
5. राज कंवर पत्नी सुगनसिंह
6. शेरसिंह पुत्र भगवानसिंह
7. अभयसिंह पुत्र सायर सिंह
8. सुमेर सिंह पुत्र सायर सिंह
9. मागूसिंह पुत्र सायर सिंह
10. नरपत सिंह पुत्र सायरसिंह
11. नरेश सिंह पुत्र सायर सिंह
12. हिम्मतसिंह पुत्र रामसिंह
13. सज्जन कंवर पत्नी रामसिंह
14. गगनसिंह उर्फ घीसासिंह पुत्र रघुवीर सिंह (नाबालिक) जरिये माता सीता कंवर पत्नी रघुवीर सिंह
15. सीता कंवर पत्नी रघुवीर सिंह
16. मदाल कंवर पुत्री छोगसिंह
17. सोहन कंवर पुत्री छोगसिंह
18. सुमेर सिंह पुत्र भंवर सिंह
19. कुननकंवर पत्नी भंवर सिंह
20. भंवरसिंह पुत्र मूलसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

21. सज्जनसिंह पुत्र मूलसिंह
22. दीपसिंह पुत्र मूलसिंह
23. विनोद कंवर पत्नी बिसनसिंह
24. नाहरसिंह पुत्र बिसनसिंह
25. बघेर सिंह उर्फ नत्थूसिंह पुत्र बिसनसिंह
26. अनोप सिंह बेवा मंगनसिंह
27. महेन्द्र सिंह पुत्र मगनसिंह
28. नेन कंवर बेवा लक्ष्मणसिंह
29. उम्मेदसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
30. कुन्दनसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह
31. छतुसिंह पुत्र रावतसिंह
32. हरिसिंह पुत्र रावतसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम सुरजनपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

33. राजेन्द्र कुमार पुत्र रूड़मल जाति स्वामी निवासी ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
34. फूलाराम पुत्र भगवानाराम जाति रैबारी निवासी डालाना जोहड़ा, भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
35. फूलाराम पुत्र नोपाराम
36. गोविन्दराम पुत्र नोपाराम मोडसरा जाति जाट निवासी ग्राम भोजनगर तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
37. भूमि विकास बैंक, झुन्झुनूं जरिये शाखा प्रबन्धक
38. भूमि विकास बैंक नवलगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक
39. राजस्थान सरकार लैण्ड लोर्ड तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)
40. उप पंजीयक नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)

——**प्रतिवदीगण**

वकील वादी – किशोर कुमार जांगिड

वकील प्रतिवादी – एकपक्षीय

<u>दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा</u>

–: निर्णय :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 31.01.2025

वादी ने एक वाद इस प्रकार पेश किया कि ग्राम भोजनगर [illegible] खसरा नम्बर 317 रकबा 2 बिघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 2 बिघा [illegible] बिस्वा, खसरा नम्बर 359 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 360 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 363 रकबा 1 बिघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 364 रकबा 1 बिघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 365 रकबा 3 बिघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 366 रकबा 2 बिघा कुल किता 8 कुल रकबा 15 बिघा पुख्ता स्थित थी। उक्त भूमि पूर्व मे हमेशा से

वादीगण एवं प्रतादीगण के पूर्वज प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज मोहनसिंह, सुगनसिंह पुत्रान श्योदान सिंह 3/4 हिस्से को, प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के पूर्वज भगवान सिंह सायरसिंह पुत्रान बक्सूसिंह 1/16 हिस्से को, वादी संख्या 3 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 के पूर्वज प्रभूदान सिंह, सुगनसिंह पुत्रान धोकलसिंह 1/16 हिस्से को,. प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 के पूर्वज छोगसिंह, बन्नेसिंह पुत्रान गणेशसिंह 1/16 हिस्से को, प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 32 के पूर्वज बृजलाल सिंह व रावतसिंह पुत्रान भीमसिंह 1/16 हिस्से को काश्त करते थे उक्त भूमि के नए खसरा नम्बर 387 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 390 रकबा 2.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 427 रकबा 0.58 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 3.80 हैक्टेयर बने। उक्त भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज मोहनसिंह वसुगनसिंह मे से मोहनसिंह ने अपने हिस्से मे आई भूमि मे खसरा नम्बर 427 रकबा 0.58 हैक्टेयर भूमि को प्रतिवादी संख्या 22 को विक्रय कर दिया जिसका खाता अलग बना गया इस प्रकार उक्त भूमि के दो खाते बन गए जिसमे से एक खाता संख्या मे खसरा नम्बर 387 रकबा 0.70 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 390 रकबा 2.52 हैक्टयेर कुल कित 2 कुल रकब 3.22 हैक्टेयर। उक्त नया खाता संख्या 234 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज मोहनसिंह व सुगनसिंह के हिस्से मे से 2.27 हैक्टर भूमि शेष रही तथा शेष 0.75 हैक्टर भूमि वादी संख्या 3 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 32 के हिस्से मे रही।

ग्राम भोजनगर के पुराने खसरा नम्बर 74 रकबा 10 बिघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 13 बिघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 6 बिघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 354 रकबा 2 बिघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 18 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 34 बिघा 12 बिस्वा स्थित थी उक्त भूमि पूर्व मे अकेले प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के पूर्वज मोहनसिंह, सुगनसिंह काश्त करते थे तथा उन्ही के नाम से राजव रिकॉर्ड मे दर्ज थी । उक्त भूमि के एडजोइनिंग ही दूसरी भूमि खसरा नम्बर 16 रकबा 8 बीधा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 7 बिघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 228 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 229 रकबा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 368 रकबा 15 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 17 बिघा 15 बिस्वा स्थित थी। उक्त भूमि मे 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 11 के पूर्वज भगवान सिंह व सायर सिंह पुत्रान बक्सूसिंह का, 1/4 हिस्सा वादी संख्या 3 लगायत 5 व प्रतिवादी संख्या 12 लगायत 15 के पूर्वज प्रभूदान सिंह व सुगनसिंह पुत्रान धोकलसिंह का था, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 16 लगायत 19 के पूर्वज बन्नेसिंह, छोगसिंह पुत्रान गणेशसिंह का था व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 32 के पूर्वज रावतसिंह व बृजलाल सिंह पुत्रान भीमसिंह का था। उक्त उक्त भूमि के शामलाती रूप से नए खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9100 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.80 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर 132 से बने, खसरा नम्बर 186 रकबा 3.49 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर 130 से बना खसरा नम्बर 395 रकबा 0.90 हैक्टर जो पुराने खसरा नम्बर 345 व 368 से मिलकर बना। इस प्रकार पुराने खसरा नम्बर 74, 130, 132, 354, 355 मे से दो नये खाते बने जिसमे से एक खाता मे नये खसरा नम्बर 177 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 178 रकबा 0.80 हैक्टर, खसरा नम्बर 186 रकबा 3.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.90 हैक्टर कुल किता 05 रकबा 6.33 हैक्टर बने जो सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.जे.एम. (पत्र. क्षे.) नागौर

जिसके नये खाता संख्या 233 है तथा दुसरा खाता जो खसरा नम्बर 74 से खसरा नम्बर 98 का बना जिसको मोहनसिंह व सुगनसिंह ने अन्य को विक्रय कर दिया था।

यह कि उपरोक्त वर्णित पूराने खसरा नम्बर 16, 131, 228, 229 से नए खसरा नम्बर 175 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 176 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरा नम्बर 96 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.70 हैक्टर, खसरा नम्बर 218/1 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 219/1 रकबा 0.03 हैक्टर व खसरा नम्बर 220 रकबा 0.10 हैक्टर बने। जिनमें से खसरा नम्बर 175 व 176 से एक खाता जिसके नए खाता सख्या 100 है तथा खसरा नम्बर 96, 97 से एक खाता जिसके नये खाता नम्बर 171 है व खसरा नम्बर 218/1, 219/1 आबादी में सरकारी खाते में दर्ज हो गए व खसरा नम्बर 220 वादीगण व प्रतिवादीगण के शामलाती गुवाड़ी के दर्ज हो गए।

उपरोक्त वर्णित भूमि को नजरी नक्शे में अलग से क्रमशः पीले व हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। उपरोक्त वर्णित नए खाता संख्या 234 जिसकी भूमि नक्शे में लाल रंग से प्रदर्शित की गई जो जाव की भूमि थी में प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 के पूर्वज मोहनसिंह व सुगनसिंह का 3/4 हिस्सा था व 1/16 हिस्सा वादीगण 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 के पूर्वज प्रभूदानसिंह व सुगनसिंह का था, 1/16 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 के पूर्वज भगवान सिंह व सायर सिंह का था, 1/16 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 19 के पूर्वज छोगसिंह व बन्नेसिंह का था व 1/16 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 20 लगायंत 32 के पूर्वज रावतसिंह व बृजलाल सिंह का था में मोहनसिंह व सुगनसिंह के हिस्से की भूमि अधिक होने तथा अपनी जाव की भूमि का रकबा ज्यादा करने की गरज से अन्य सहकास्तकारान वादी नम्बर 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 32 के पूर्वजों से चकबी कर व उनके 1/16 – 1/16 हिस्से की भूमि यानि सम्पूर्ण भूमि में 1/4 हिस्से की भूमि को भी मोहनसिंह व सुगनसिंह ने ले लिया तथा अन्य सभी सहकास्तकारान को अपना 1/16 – 1/16 हिस्सा के बदले अपनी दूसरी भूमि जो नक्शे में नीले रंग से दर्शित है जिसके नए खाता संख्या 233 है में से उक्त 1/16 – 1/16 हिस्से के बदले अधिक भूमि 0.42 हैक्टर प्रत्येक 1/16 हिस्से के बदले भूमि प्रदान कर दी और सभी सहकास्तकारान ने मौके पर नए खाता नम्बर 234 की भूमि पर से अपना कब्जा हटा लिया तथा नए खाता संख्या 233 की भूमि पर सभी ने अपने 1/16 – 1/16 – 1/16 – 1/16 हिस्से के बदले क्रमशः 0.42 हैक्टर, 0.42 हैक्टर, 0.42 हैक्टर, 0.42 हैक्टर भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। परन्तु सभी सहकास्तकारान में आपसी प्रेम के चलते तथा व अनपढ़ होने के कारण राजस्व रिकार्ड की कार्यवाहियों की जानकारी के अभाव के कारण राजस्व रिकार्ड में नाम पूर्व अनुसार ही चलते रहे कोई दुरूस्ती नहीं करवाई। नए खाता संख्या 100 में खसरा नम्बर 175 रकबा 0.95 हैक्टर, खसरां नम्बर 176 रकबा 0.95 हैक्टर कुल कि[illegible] नम्बर 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 32 की शामलाती भूमि थी [illegible] हिस्सा वादीगण नम्बर 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 के पूर्वज प्रभूदान[illegible] सुगनसिंह का था, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 [illegible] 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 19 के पूर्वज छोगसिंह व बन्नेसिंह [illegible] 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 32 के पूर्वज रावतसिंह व बृजलाल सिंह का था उक्त खाता की भूमि में भी वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस में चकबंदी की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

यह कि प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 ने उक्त नए खाता संख्या 100 की भूमि में अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर 16 लगायत 19 के पक्ष में छोड़ दिया ताि प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 19 के पूर्व वर्णित खाता संख्या 234 की भूमि में से अपने हिस्से के बदले मोहनसिंह व सुगनसिंह से खाता संख्या 233 में प्राप्त की हुई 0.42 हैक्टर अपने हिस्से की भूमि को छोड़ दिया और मौके पर अदायदा प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 खसरा नम्बर 177 की भूमि पर काबिज हो गया और उक्त खसरा नम्बर 177 की भूमि को को प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 ने अपने परिवार की जायज रूपयों की आवश्यकता के कारण अपने उक्त खसरा नम्बर 177 रकबा 0.91 हैक्टर की भूमि को वादीगण नम्बर 1 व 2 को लिखावत करके विक्रय कर दिया और मौके पर वादीगण नम्बर 1 व 2 को कब्जा संभला दिया। उपरोक्त रूप से चकबंदी में प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 19 के पूर्वज छोगसिंह व बन्नेसिंह ने 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 के पूर्वज भगवानसिंह, सायरसिंह, से प्राप्त कर लिया तथा 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 16 व 19 के स्वयं के पास था परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में 1/4 हिस्से में भगवानसिंह, सायरसिंह का चल रहा था इसी के चलते प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 19 ने परिवार की जायज आवश्कयतावंश उक्त अपने 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 34 को विक्रय कर दिया व विक्रय पत्र 1/4 हिस्से का स्वयं ने तस्दीक करवा दिया तथा 1/4 हिस्से का राजस्व रिकार्ड भगवानसिंह व सायरसिंह के नाम होने के कारण उनसे आपसी विश्वास में दर्ज करवा दिया। इस प्रकार उक्त खाता संख्या 100 की भूमि में 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी नम्बर 34 खातेदार दर्ज हो गया। इस प्रकार नए खाता संख्या 100 की भूमि 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 32 का 1/4 हिस्सा वादी नम्बर 3 व 5 व प्रतिवादी नम्बर 12 लगाय्त 15 का है व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 34 का है व इसी अनुसार मौके पर काबिज एवं काश्त है। खसरा नम्बर 177 रकबा 0.91 हैक्टर जो प्रतिवादीगण नम्बर 6 लगायत 11 से वादी नम्बर 1 व 2 ने लगभग 50 वर्ष पूर्व क्रय की थी तब से लेकर आज तक लगातार वादी नम्बर 1 व 2 ही काबिज एवं काश्त है खाता संख्या 233 के खसरा नम्बर 178 रकबा 0.80 हैक्टर की भूमि पर वादीगण नम्बर 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 व प्रतिवादी नम्बर 20 लगाायत 32 शामलाती रूप से आधी – आधी लगभग 55 वर्ष पूर्व से काश्त करते आये है तथा उक्त खाता संख्या 233 के शेष खसरा नम्बर 394 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 395 रकबा 0.90 हैक्टर की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 काबिज एवं काश्त है परन्तु वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 6 लगायत 19 के सीधे व आपसी विश्वास तथा भाईचारे व अन्य प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड नाम करवा देते रहने के कारण आज उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 के नाम ही चला आ रहा है। नया खाता संख्या 233 में ख़सरा नम्बर 177 रकबा 0.91 हैक्टर की भूमि को वादी नम्बर 1 व 2 के पूर्वज मंगेज[illegible] 6 लगायत 11 के पूर्वज भगवानसिंह, रायसिंह से दिनांक 19.06.1961 क्रय [illegible] लेकर आज तक पहले मंगेजसिंह व बाद में मंगेजसिंह वारिस[illegible] वादी नम्बर 1 व 2 ही [illegible] को काश्त करते आए है तथा खसरा नम्बर 178 रकबा 0.80 [illegible] नम्बर 3 लगायत 5 के पूर्वज प्रभुदानसिंह व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत [illegible] पूर्वज सुगनसिंह काश्त करते थे तथा बाद में उनके वारिसान वादी नम्बर 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 कास्त करते है तथा 1/2 हिस्से की भूमि को पूर्व में प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 32 के पूर्वज रावतसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

प. सी. [illegible] एम. (फा. दृ.)
[illegible]

व बृजलाल सिह काश्त करते थे तथा बाद में उनके वारिसानों के हक अधिकारों की रही है तब से लेकर आज तक लगातार काश्त करते रहे है। परन्तु प्रतिवादीगण नम्बर 12 लगायत 15 व 20 लगायत 32 व वादीगण के पूर्वज अनपढ होने के कारण कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं थी। इसलिए कभी भी उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड की जानकारी नहीं थी इसलिए कभी भी राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने की कार्यवाही नहीं की तथा अब किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल ली तो गलत राजस्व रिकार्ड का पता चला इसलिए तुरन्त ही उक्त घोषणार्थ वाद सेवामें पेश है। उपरोक्त धारा 3 में वर्णित नक्शे में हरे रंग से दर्शित भूमि का दुसरा नया खाता नम्बर 171 जो खसरा नम्बर 96 रकबा 0.60 हैक्टर, खसरा नम्बर 97 रकबा 1.70 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.30 हैक्टर में 1/8 हिस्सा वादी नम्बर 3 लगायत 5 का, 1/8 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 32 का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 19 का है। जिसमें प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 व प्रतिवादी नम्बर 16 लगायत 19 ने अपना 1/4 – 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 35 व 36 को विक्रय कर दिया था इसलिए प्रतिवादी नम्बर 35 व 36 उक्त भूमि में 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार मौके पर काबिज है तथा हक अधिकार है। उपरोक्त धाराओं में वर्णितानुसार नए खाता संख्या 233 में खसरा नम्बर 177 रकबा 0.91 हैक्टर की भूमि का वादी नम्बर 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग खाता कायम किया जाकर विभाजन किया जावे। खसरा नम्बर 178 रकबा 0.80 हैक्टर भूमि में 1/2 हिस्से पर वादीगण नम्बर 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 12 व 15 को खातेदार घोषित किया जाकर वादी नम्बर 3 लगायत 5 की व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 की अन्य खातों नये खाता संख्या 100 व 171 की भूमियों में अपने हिस्से के अनुसार शामिल कर अलग – अलग खाते बनाकर विभाजन किया जावे तथा खसरा नम्बर 178 की शेष 1/2 हिस्से की भूमि का प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 32 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 32 की अन्य 2 खातों नये खाता नम्बर 100 व 171 में अपने हिस्से को साथ लेकर अलग खाता कायम किया जावे व विभाजन किया तथा मौके पर कब्जे अनुसार अलग – अलग सीमाऐं कायम किये जाने हेतु उक्त दावा वास्ते विभाजन श्रीमान्जी की सेवामें पेश है।

यह कि नये खाता संख्या 233 खसरा नम्बर 177 रकबा 0.91 हैक्टर की भूमि को वादी नम्बर 1 व 2 के पूर्वज मंगेजसिंह ने प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 के पूर्वज मोहनसिंह व प्रतिवादी नम्बर 6 लगायत 11 के पूर्वज भगवान सिंह व सायरसिंह से लगभग 50 वर्ष पूर्व क्रय किया था तब से लेकर आज तक उक्त भूमि पर वादी नम्बर 1 व 2 का ही कब्जा काश्त है तथा उक्त भूमि वादी नम्बर 1 व 2 के हक अधिकारों की भूमि है इसी प्रकार वादी नम्बर 3 लगायत 5 प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 ने खसरा नम्बर 178 की भूमि को अपनी धारा 1 में वर्णित लाल रंग से दर्शित नए खाता संख्या 234 में अपने हिस्से 1/16 हिस्से व प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 32 ने अपने 1/16 हिस्से के बदले चकबंदी में आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया तब से लेकर आज तक उक्त खसरा नम्बर 178 की भूमि पर वादी नम्बर 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 व 20 लगायत 32 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा इसलिए वादीगण का प्रथम दृष्टया मामला है। उक्त खसरा नम्बर 177 व 178 की भूमि पर वादीगण का लगभग 50–55 वर्षों से लगातार कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

काश्त चला आ रहा है इसलिए सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है परन्तु विवादित भूमि का ऐरिया मे फैक्ट्री स्थापित होने से जमीनों का बाजार भाव बढ गया है इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 के मन में लालच आ गया है और वादीगण के हक अधिकारों की भूमि का राजस्व रिकार्ड अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाना चाहते है। उक्त भूमि को विक्रय करने पर तुले हुए और वादीगण को धमकी दी है कि तुम्हारी भूमि का राजस्व रिकार्ड हमारे नाम है इसलिए हम तुम्हारी भूमि को फैक्ट्री वालों को क्रय करगें तथा अच्छा प्रतिफल प्राप्त करगें। यदि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 अपनी उक्त नाजायज मंशा में सफल हो गये तो वादीगण को इतना नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी किमत पर सम्भव नहीं होगी। इसलिए उक्त दावा वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा श्रीमान्जी की सेवामें पेश है।

यह कि उक्त वाद हेतु वादाधिकार वादीगण द्वारा कृषि भूमि के सम्बन्ध में सरकारी सहायतों का लाभ लेने के लिए कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर अपनी कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड अपने नाम नहीं होने का पता लगने के रोज ही बना रहता है के रोज व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 द्वारा विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड अपने नाम होने का नाजायज फायदा उठाकर दिनांक 05.08.2008 को विवादित भूमि को विक्रय करने की धमकी देने के रोज श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। अन्त में सीद्धि यह चाही कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर नये खाता संख्या 233 में खसरा नम्बर 177 की भूमि में से प्रतिवादी नम्बर 1 लगायंत 5 का नाम हटाया जाकर वादी नम्बर 1 व 2 को खसरा नम्बर 177 की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा अलग खाता कायम किया जावे। नए खाता संख्या 233 में खसरा नम्बर 178 में प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 5 का नाम हटाया जाकर 1/2 हिस्से का वादीगण नम्बर 3 लगायत 5 व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा 1/2 हिस्से का प्रतिवादी नम्बर 20 लगायत 32 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद पत्र की धारा 1 लगायत 4 में वर्णित खसरा नम्बर की भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर कब्जेकाश्त अनुसर अलग – अलग सीमाऐं बनाकर रिकार्ड में अलग – अलग खाते कायम किये जाकर वाद पत्र की धारा 1 लगायत 7 में वर्णित लम्बे व जटिल खातों का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 5 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उपरोक्त वाद पत्र में वर्णित खसरा नम्बर 177 रकबा 0.91 व खसरा नम्बर 178 रकबा 0.80 हैक्टर की भूमि को अन्य किसी को विक्रय नहीं करें वेस्ट डेमेज व ऐलिमिनेटं नहीं करें। व भूमि का विक्रय पत्र किसी अन्य के नाम से तस्दीक नहीं करें।

दावा वाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। प्रतिंवादी संख्या 1, 27, 29, 30, 31, 33, 37 से 40 स्वयं उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या [illegible] 15, 18 लगायत 32 की ओर से वकील प्रदीप झाझड़िया हाजिर। शेष प्रतिव[illegible] तामिल अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अ[illegible] ओर से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया अर्थात् वाद अखण्डनीय है। [illegible] में दस्तावेज प्रदर्श 1 लगायत 31 पेश किए गए [illegible] पत्र दिनांक 25.07.2024 को पेशकर दावे के तथ्यों को शपथपूर्वक अंकित किया है। बहस एकतरफा वादीगण की ओर से सुनाई गई जिसमें वकील वादी ने मौखिक रूप से निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि खसंरा नम्बर 177 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

प्र.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.)
नवलगढ़

178 नया राजस्व ग्राम शिवनगर में चले जाने के कारण ग्राम शिवनगर की भूमि खसरा नम्बर 177 रकबा 0.9100 हैक्टर का वादी नम्बर 01 कायमसिंह पुत्र मंगेजसिंह व वादी नम्बर 02 मोहनकंवर पत्नी मंगेजसिंह को खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 178 रकबा 0.8000 हैक्टर में 1/2 हिस्से का वादी संख्या 3 लगायत 5 इन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रभुदान सिंह, कपिन्द्रसिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह, कृष्णा कंवर पत्नी बजरंग सिंह व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 हिम्मत सिंह पुत्र श्री रामसिंह, सज्जन कंवर पत्नी रामसिह, गगन सिंह उर्फ गिसा सिंह पुत्र रघुवीर सिंह व सीता कंवर पत्नी रघुवीर सिंह को तथा 1/ 2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 32 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। साथ ही निवेदन किया कि वाद पत्र की मद संख्या 1 लगायत 4 में वर्णित आराजीयात के विभाजन हेतु चाही गयी सिद्धी अस्वीकार की जाये क्योंकि दौराने वाद, वाद पत्र में वर्णित भूमि के रिकार्ड में काफी परिवर्तन आया है इसलिए विभाजन हेतु रिकॉर्डेड खातेदारान को पक्षकार बनाकर व वर्तमान रिकॉर्ड के आधार पर पुनः वाद पेश कर दिया जायेगा।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्यो, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात् एवं प्रस्तुत मुख्य परिक्षा के शपथ पत्र के तथ्यो को गौर करते हुए तथा वकील वादी द्वारां की गयी बहस पर विचार करने के पश्चात् यह पाया कि दावा के तथ्यो का प्रतिवादीगण द्वारा कोई खण्डन नहीं किया गया है इसलिए दावा की मद संख्या 15 में चाही गयी सिद्धी उपमद (क), (ख) व (ग) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम शिवनगर, पटवार हल्का टोंक छिलरी, तहसील नवलगढ़ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 177, रकबा 0.9100 हैक्टेयर, का वादीगण नम्बर 1 व 2 कायम सिंह पुत्र मंगेज सिंह व मोहन कंवर पुत्र श्री मंगेज सिंह, जाति – राजपूत, को तथा खसरा नम्बर 178 रकबा 0.8000 हैक्टर में 1/2 हिस्से का वादी संख्या 3 लगायत 5 इन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रभुदान सिंह, कपिन्द्रसिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह, कृष्णा कंवर पत्नी बजरंग सिंह व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 हिम्मत सिंह पुत्र श्री रामसिंह, सज्जन कंवर पत्नी रामसिह, गगन सिंह उर्फ घीसा सिंह पुत्र रघुवीर सिंह व सीता कंवर पत्नी रघुवीर सिंह को तथा 1/ 2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 32 भंवर सिंह पुत्र मूल सिंह, सज्जन सिंह पुत्र श्री मूल सिंह, दीप सिंह पुत्र श्री मूल सिंह, विनोद कंवर पत्नी बिसन सिंह, नाहरसिंह पुत्र बिसनसिंह, बघेर सिंह उर्फ नत्थूसिंह पुत्र श्री बिसनसिंह, अनोप कंवर पत्नी मंगनसिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगनसिंह, नेन कंवर पत्नी श्री लक्ष्मणसिह, उम्मेद सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, कुन्दन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह छतुसिंह पुत्र श्री रावतसिंह, हरिसिंह पुत्र रावतसिंह समस्त जाति राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। तदनुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested

(सुशील कुमार सैनी)
सहाक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ

मोहर

(ओ. 20 रूल 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलेकटर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ रिकॉर्ड, विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– 158 / 2008 (कायम सिंह बनाम हरिसिंह आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.) सहायक कलेक्ट्र फास्ट ट्रेक नवलगढ बहाजरी वकील वादी मिनजानिब मद्दई रूबरू मनजानिब मुददयाल पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 31.01.2025 अनुसार वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम शिवनगर, पटवार हल्का टोंक छिलरी, तहसील नवलगढ में स्थित भूमि खसरा नम्बर 177, रकबा 0.9100 हैक्टेयर, का वादीगण नम्बर 1 व 2 कायम सिंह पुत्र मंगेज सिंह व मोहन कंवर पुत्र श्री मंगेज सिंह, जाति – राजपूत, को तथा खसरा नम्बर 178 रकबा 0.8000 हैक्टर में 1/2 हिस्से का वादी संख्या 3 लगायत 5 इन्द्रसिंह पुत्र श्री प्रभुदान सिंह, कपिन्द्रसिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह, कृष्णा कंवर पत्नी बजरंग सिंह व प्रतिवादी नम्बर 12 लगायत 15 हिम्मत सिंह पुत्र श्री रामसिंह, सज्जन कंवर पत्नी रामसिह, गगन सिंह उर्फ धीसा सिंह पुत्र रघुवीर सिंह व सीता कंवर पंत्नी रघुवीर सिंह को तथा 1/ 2 हिस्से का प्रतिवादी संख्या 20 लगायत 32 भंवर सिंह पुत्र मूल सिंह, सज्जन सिंह पुत्र श्री मूल सिंह, दीप सिंह पुत्र श्री मूल सिंह, विनोद कंवर पत्नी बिसन सिंह, नाहरसिंह पुत्र बिसनसिंह, बघेर सिंह उर्फ नत्थूसिंह पुत्र श्री बिसनसिंह, अनोप कंवर पत्नी मंगनसिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र श्री मंगनसिंह, नेन कंवर पत्नी श्री लक्ष्मणसिह, उम्मेद सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, कुन्दन सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह छतुसिंह पुत्र श्री रावतसिंह, हरिसिंह पुत्र रावतसिंह समस्त जाति राजपूत को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामत करे। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

बसक्त मेरे दस्तखत व महर अदालत से आज तारीख 31.01.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (R.A.S.)
सहाक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) नवलगढ
मोहर

मुददई	रूपयया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	05.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनाम स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनाम	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीश कमिश्नर	–	फीश कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	08.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	15.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.05.08 11:44:22 IST
Reason: SelfAttested